



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / टीसीबी / 2017 / 389

दिनांक :: 14 मार्च, 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 08 मार्च, 2016 को सांय 3.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आर.ए.एस., आयुक्त जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 03 सितम्बर एवं 04 सितम्बर 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की गत बैठक 03 सितम्बर एवं 04 सितम्बर 2016 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 03 सितम्बर एवं 04 सितम्बर 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2.1 :: लोक परिवहन सेवा की वाहनों के सुगम संचालन हेतु बस अड्डा/ठहराव हेतु निर्धारित स्थान का निर्धारण के सम्बन्ध में।

बैठक में उपायुक्त यातायात द्वारा लोक परिवहन सेवा के वाहनों के सुगम संचालन एवं ठहराव हेतु शहर में भदवासिया, प्रताप नगर, पीली टंकी, कालवी प्याऊ एवं दल्ले खां चक्की कुल पांच जगहों का चिन्हिकरण बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

बैठक में सर्व सम्मति से भदवासिया, प्रताप नगर, कालवी प्याऊ, दल्ले खां चक्की के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भगत की कोठी पीली टंकी क्षेत्र की बसों का ठहराव अस्थाई रूप से पीली टंकी के पास रिक्तियां भैरूजी चौराया स्थित निर्माणाधीन आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक यथावत रहेंगे। उक्त आर.ओ.बी. के सुचारु रूप से संचालन होने पर उक्त बसों का ठहराव उक्त आर.ओ.बी. के नीचे रेलवे ट्रेक के पास निश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया। पुलिस आयुक्तालय द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक अधि सूचना जारी की जानी है।

प्रस्ताव संख्या 2.2 :: जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग संख्या 39 एवं 40 पर अनुज्ञा-पत्रों का स्कोप निर्धारण के सम्बन्ध में।

बैठक में जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग संख्या 39 डाली बाई मन्दिर से न्यू हाईकोर्ट एवं मार्ग 40 सूरजबेरा से न्यू हाईकोर्ट पर निर्धारित है ; प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने उक्त रूट पर यात्री भार कम होने के कारण 75 अनुज्ञापत्रों का स्कोप निर्धारित किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। बैठक में इस प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2.3 :: जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग सं. 16 में कटौति एवं डाईवर्जन के सम्बन्ध में ।

बैठक में जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 16 में पांचवी रोड चौराहा से महावीर कॉम्प्लेक्स तक वाया शनिश्चर जी का थान चौराहा, जालोरी गेट चौराहा, महात्मा गांधी अस्पताल, ओलम्पिक चौराहा, का डाईवर्जन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । तथा परिवहन निरीक्षक श्री दिनेश शर्मा से उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्वे करवाकर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की । प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार मार्ग सं. 16 में पांचवी रोड चौराहा से महावीर कॉम्प्लेक्स वाया सरदारपुरा सी रोड तक 5 किमी कटौती किये जाने से उक्त भाग पर स्थित कॉलोनीयों के रहवासियों को नगरीय परिवहन सेवा से वंचित होना पड़ेगा एवं डाईवर्जन के भाग सिवांची गेट चौराहा से महावीर कॉम्प्लेक्स वाया शनिश्चर जी का थान चौराहा, जालोरी गेट चौराहा, महात्मा गाँधी अस्पताल ओलम्पिक चौराहा कुल 3 किमी का जो भाग जोडा जाना है, उस भाग पर पूर्व से ही नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत वाहन संचालित है। उक्त डाईवर्जन से उपरोक्त स्थानों पर रहने वाले रहवासियों को अतिरिक्त परिवहन सेवा उपलब्ध होगी।

इस प्रस्ताव पर एक कमेटी द्वारा परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी में उपाधीक्षक पुलिस, निरीक्षक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय एवं अधीशाषी अभियन्ता पद मुख्यालय नगर निगम आगामी 15 दिवस में इस प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी मिटिंग में प्रस्ताव पेश करेगी।

प्रस्ताव संख्या 2.4 :: जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग संख्या 37 में कटौति एवं वृद्धिकरण के सम्बन्ध में।

बैठक में जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के रूट संख्या 37 में नान्दडी से भोमियाजी का थान तक वर्तमान में मार्ग का संचालन हो रहा है। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये भोमियाजी का थान से भूरी बेरी साईधाम वाया काली बेरी मोड, नन्दलाव पुलिया, कालीबेरी चौराहा, गांधी नगर योजना, भूरीबेरी साईधाम तक कुल 4.6 कि.मी. कटौती एवं पावटा से शिव हाउस वाया मिर्धा सर्कल, कायमखानी हॉस्टल तक 1 कि.मी. डाईवर्जन चाहा है। इस प्रस्ताव पर एक कमेटी द्वारा परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

इस कमेटी में उपाधीक्षक पुलिस, निरीक्षक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय एवं अधीशाषी अभियन्ता पद मुख्यालय नगर निगम आगामी 15 दिवस में इस प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी मिटिंग में प्रस्ताव पेश करेगी।

प्रस्ताव संख्या 2.5 :: जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग संख्या 3/27 में वृद्धिकरण के सम्बन्ध में।

बैठक में जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत संचालित मार्ग संख्या 3/27 भट्टी की बावडी से गांधी नगर तक वर्तमान में मार्ग का संचालन हो रहा है। आमजन की सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए गांधी नगर से सारण नगर वाया माता का थान, शिक्षक नगर मोड, सुमंगल अस्पताल, पीएस गार्डन, सारण नगर तक कुल 9.2 कि.मी. का वृद्धिकरण चाहा है।

इस प्रस्ताव पर एक कमेटी द्वारा परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी में उपाधीक्षक पुलिस, निरीक्षक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय एवं अधीशाषी अभियन्ता पद मुख्यालय नगर निगम आगामी 15 दिवस में इस प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी मिटिंग में प्रस्ताव पेश करेगी।

प्रस्ताव संख्या 2.6 :: जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के लिये माननीय विधायिका श्रीमति सूर्यकान्ता व्यास द्वारा प्रस्तावित नये मार्गों पर विचार/निर्धारण के सम्बन्ध में ।

बैठक में जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के लिए माननीय विधायिका श्रीमति सूर्यकान्ता व्यास द्वारा प्रस्तावित नये मार्गों पर विचार/निर्धारण का प्रस्ताव प्रेषित किया है ।

कमेटी ने प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से रिपोर्ट मय प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है ।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नये ऑटो रिक्शा स्टैण्ड निर्धारित एवं वृद्धि करने के सम्बन्ध में ।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा सलग्न सूची अनुसार ऑटो रिक्शा स्टैण्ड निर्धारित एवं वृद्धि करने के सम्बन्ध में आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है ।

क्र. सं.	स्थान का नाम	यातायात कमेटी रिपोर्ट
1.	बालवाडी चौराहा	स्थान का अभाव एवं भीड़-भाड़ ग्रस्त क्षेत्र होने तथा पूर्व से ही एक टैक्सी स्टैण्ड होने एवं नजदीकी स्थानों पर लोक परिवहन के साधन उपलब्ध होने के कारण दो में से एक टैक्सी स्टैण्ड नाले के उपर को निरस्त किया जाये और दूसरे टैक्सी स्टैण्ड पर केवल 05 टैक्सियों के स्टैण्ड की अनुमति दी जाये।
2.	श्रीराम अस्पताल पाल रोड	यह स्थान मुख्य सड़क से सटा है अतः टैक्सी स्टैण्ड यातायात में भारी बाधा उत्पन्न करता है । इसलिए टैक्सी स्टैण्ड को सड़क से हटाकर अस्पताल भवन व ढके हुए नाले के मध्य खाली स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये साथ ही केवल 05 टैक्सियों के स्टैण्ड की अनुमति दी जाये ।
3.	काजरी मोड	चूंकि यह टैक्सी स्टैण्ड मुख्य सड़क पर यातायात घुमटी के पास ही है जिससे वाहनों को घुमने एवं बाइमेर से आने वाले वाहनों को भारी परेशानी होती है जो कि यातायात की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त है और दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र बनता है अतः इसे तुरन्त हटवाया जाये और टैक्सी स्टैण्ड निरस्त किया जाये ।
4.	सनसिटी बर्तन भण्डार हारुण मंजिल नई सड़क	चूंकि यह टैक्सी स्टैण्ड मुख्य सड़क पर यातायात डिवाइडर कट के पास है, जिससे वाहनों को घुमने एवं घण्टाघर तथा मच्छी मार्केट से आने वाले वाहनो को परेशानी होती है जो कि यातायात की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त है और दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र बनाता है साथ ही यातायात जाम का कारण बनता है । अतः इसे तुरन्त हटावाया जाये और टैक्सी स्टैण्ड निरस्त किया जाये ।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: आमजन तथा पुलिस कार्मिकों के लिये मूत्रालय के सम्बन्ध में।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा आमजन एवं पुलिस कर्मियों के लिए स्थायी एवं अस्थायी मूत्रालय की व्यवस्था करने की मांग की है। शहरी क्षेत्र के परकौटे की व्यवस्था नगर निगम करें। तथा जहां बाहरी चौड़ी सडके है उनकी व्यवस्था निदेशक अभियांत्रिकी परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 5 :: शहर में भारी वाहनो के प्रवेश की अनुमति के सम्बन्ध में।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा शहर में भारी वाहनों की प्रवेश की अनुमति की मांग की है। इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर द्वारा परीक्षण करे प्रस्ताव प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: सडक दुघर्टनाओ की रोकथाम के सम्बन्ध में।

बैठक में कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर (पूर्व) के पत्र के अनुसार सडक दुघर्टनाओ की रोकथाम के लिए निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किये है जिससे सडक दुघर्टनाओं में कमी लायी जा सकती है -

1. सडक के बीच बने अनावश्यक कटो को बन्द करवाना ।
2. सडक पर बने गढो की मरम्मत करवाना ।
3. सडक पर संकेतक साईन बोर्ड लगवाना ।
4. सडक पर निर्धारित गति सीमा के साईन बोर्ड लगवाना ।
5. सडक पर क्षतिग्रस्त डिवाईडरों की मरम्मत करवाना ।
6. सडक पर रात्रि के समय प्रयाप्त रोशनी की व्यवस्था करवाना ।
7. पार्किंग की उचित व्यवस्था करवाना ।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भाटी चौराहा से रातानाडा सब्जी मण्डी जाने वाले मार्ग पर चौराहा का निर्माण के सम्बन्ध में।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा भाटी चौराहे से रातानाडा सब्जी मण्डी की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित चौराहे पर एक नीम का पेड है, उक्त स्थान के पास ही सब्जी मण्डी जोने तथा इस स्थान पर पांच मार्गों से रास्ते आते है, इस कारण यातायात दबाव अधिक रहता है। जिस कारण सडक दुघर्टनाओ की रोकथाम हेतु उक्त स्थान पर चौराहे का निर्माण करवाने की मांग की है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त चौराहा बड़ा करने का निर्णय लिया है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राईवेट बस तथा नेशनल परमिट की बसों के संचालन हेतु ठहराव स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा संलग्न सूची अनुसार प्राईवेट बस तथा नेशनल परमिट की बसों के संचालन हेतु ठहराव स्थल के लिए जगह उपलब्ध करवाकर विकसित करने की मांग की है।

कमेटी द्वारा भविष्य में उपरोक्त बसे कालवी प्याऊ, प्रताप नगर, दल्ले खां की चक्की, पर स्थायी रूप से एवं पीली टंकी पर अस्थायी रूप से ठहराव स्थल की आज्ञा प्रदान करने की सहमति बनी। रिक्तिया भैरुजी ब्रिज का कार्य पूरा होने के पश्चात् पीली टंकी के स्थान पर रेल्वे ट्रेक के पास खाली पडी जगह पर बस ठहराव के अनुमति प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई है।

पुलिस उपायुक्त, यातायात ने बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भदवासिया अण्डरब्रिज के नीचे से संचालित होने वाली प्राईवेट बसों को पूर्व में भदवासिया ब्रिज से होकर ज्योतिबा फुल्लेराव पार्क से घुमकर किशोरबाग के रास्ते से संचालित होने हेतु अनुमति दी गई थी। परन्तु बस संचालक अपनी मनमर्जी से बिना बस स्टेण्ड के ही बीच रास्ते से बसों को खड़ी कर सवारियों लेने के कारण यातायात में व्यवधान पैदा करते हैं, जो की परमिट शर्तों का उल्लंघन है। इस कारण बसों को अब फुलेराव पार्क की न आकर सीधा ही माता का थान की तरफ से निकाला जाये।

जिस पर बैठक में सर्वसम्मति से बसों को माता का थान रूट से संचालित करने का निर्णय लिया है।

प्रस्ताव संख्या 9 :: आखलिया चौराहा पर यातायात व्यवस्था की सुधार सम्भावना के सम्बन्ध में।

बैठक में एम.एम. उस्मान खान के पत्र द्वारा आखलिया चौराहा पर यातायात व्यवस्था की सुधार की मांग की है।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा परीक्षण कर 07 दिन में प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर मेडता बस का संचालन किराये के भूखण्ड पर करने की स्वीकृति बाबत बैठक में।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा जोधपुर मण्डल बस एसोसियेशन ने जोधपुर-मेडता बस का संचालन किराये के भूखण्ड पर करने की स्वीकृति की मांग की है। बैठक में इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से नकारा जाता है।

प्रस्ताव संख्या 11 :: नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 37 को नान्दडी में स्थायी स्टेण्ड के सम्बन्ध में।

बैठक में एकता युनियन, जोधपुर के पत्र द्वारा नगरिय परिवहन संख्या 37 को नान्दडी में स्थायी स्टेण्ड उपलब्ध करवाने की मांग की है। गठित कमेटी परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: निशक्त जनों के लिए प्री-पेड टैक्सी बूथ संचालन हेतु आवंटन के सम्बन्ध में।

बैठक में अध्यक्ष आदेश्वर विकलांग सेवा संस्थान के पत्र के द्वारा निशक्त जनों के लिए प्री-पेड टैक्सी बूथ संचालन आवंटन करने की मांग की है।

इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: चौपासनी ग्राम के पास जैसलमेर बाईपास पर चौराहा निर्माण के सम्बन्ध में।

बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र के द्वारा चौपासनी ग्राम के पास जैसलमेर बाईपास पर यातायात दबाव व भीषण दुर्घटनाओं के कारण चौराहा निर्माण की मांग की है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इसका परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्ताव को रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा अवगत करवाया गया कि ट्रेफिक लाईट्स लम्बे समय तक खराब रहती है जिसका रख-रखाव समय पर नहीं किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया बन्द पडी लाईटों का समय पर रख-रखाव करते हुए तुरन्त ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: दाउजी होटल से न्यू पॉवर हाउस रोड़ सड़क के बीच डिवाइडर के निर्माण बाबत।

बैठक में दाउजी होटल से न्यू पॉवर हाउस रोड़ पर भारी वाहनों आवागमन को देखते हुए सड़क के बीच में न्यूनतम चौड़ाई वाले डिवाइडर के निर्माण की आवश्यकता जताई गई। इस कार्य को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित करवाने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: जालोरी गेट चौराहा के निर्माण कार्य के संबंध में।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान जालोरी गेट पर चौराहा हेतु किये गये नवीनतम परीक्षण को पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा अनुमोदन अनुसार पक्के निर्माण की अनुमति जारी की गई। तदनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य सम्पादित करवाने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि विभिन्न मार्गों पर डिवाइडरों के बीच छोटे-छोटे अवैध कट कर दिये गये हैं जिसे न्यू कोहिनूर के सामने, खतरनाक पुलिया जेडीए रोड़ आदि। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग अपने अधीन सड़कों का परीक्षण कर डिवाइडर कटर्स को तुरन्त बन्द करने की कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त कार्यवाही विवरण आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड के पत्रावली के पैरा संख्या 71 पर अनुमोदन के क्रम में जारी किया गया है।


(अरुण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक / टीसीबी / 2017 / 389-418

दिनांक :: 14 मार्च, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
3. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
5. पुलिस उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षण-ग्रामीण, जोधपुर
6. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर
8. महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
9. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
13. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
14. निदेशक-अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यावाही विवरण का अंकन वेब-साईट पर करने तथा संबंधित अधिकारियों को जरिये ई-मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।
19.


(अरुण पुरोहित)
सचिव

दिनांक 08 मार्च, 2017 को सांय 3.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आर.ए.एस. जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की विवरण :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री घनश्याम औझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री विकास शर्मा, उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय एवं यातायात), पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
3.	श्री कालूराम, जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4.	श्री लालचन्द चाण्डक, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
5.	श्री दलवीर सिंह ढढडा, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री बुगलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस, जोधपुर
8.	श्री ए.बी. रतनु, निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री आर. एन. विश्णोई, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11.	श्री वी. के. अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता, एन.एच. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
12.	श्री एस. एल. व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी., सिटी डिविजन, जोधपुर
13.	श्री बी. एस. कण्डोला, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
14.	श्री मदनलाल, सी.आई., जोधपुर पुलिस ग्रामीण, जोधपुर
15.	श्री रोहित चौधरी, सहायक अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी., सिटी डिविजन, जोधपुर
16.	श्री राणुराम चौधरी, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
17.	श्री देवेन्द्र गहलोत, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर